Speech of Hon'ble Mr. Justice Vijender Jain, Chief Justice, Punjab and Haryana High Court & Patron-in-Chief, Haryana State Legal Services Authority on the occasion of Seminar on 'Eradication of Female Foeticide' and 'Women Empowerment' held at ITI Ground, Narnaul on 1.3.2008.

बहुत देर से आज आप कन्या भ्रूण हत्या की इस संगोष्ठी में यहां पर बैठे हैं। मैं आपको सिर्फ आगाह करने आया हूँ। आपने आखिर में एक सीन लघुनाटिका का देखा कि अष्टभुजा वाली मां दुर्गा ने कैसे अपने नेत्र खोलकर के उस इंसान को सजा दी जो एक संवेदनशील समाज का हिस्सा नहीं था। कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाये, कानून ने जो कदम उठाये उससे कन्या भ्रूण हत्या की समस्या समाप्त नहीं हुई। हम आंकड़े देखें कि यहां पर नारनौल जिले के अंदर एक हजार के पीछे 818 लड़कियों की संख्या है। वो figure 2001 की थी। आज जब मैंने यहां पर Deputy Commissioner साहब से पूछा तो पता लगा कि 0 से 6 साल के बीच में लड़कियों की संख्या सिर्फ 783 है। Parliament ने कानून बना दिया। सरकार ने इतनी सारी स्कीम बनाईं। इसके बावजूद भी अगर लड़कियों का लिंगानुपात इस प्रकार से कम होता रहेगा तो मैं सिर्फ दो सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस हरियाणा के भविष्य का क्या होगा? लड़कों का मोह होना बड़ी अच्छी बात है। भ्रूण के अंदर लड़की को कत्ल करना कानूनी अपराध तो है ही, पर उससे बड़ा धार्मिक अपराध दूसरा नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण ने गीता के 14वें अध्याय में कहा है कि इस योनि के अंदर जो बीज आता है उस बीज को स्थापित करने वाला पिता मैं हूँ। अगर वो ब्रहम अंश है तो उस भ्रूण के अंदर उस बच्ची की हत्या जो उस ब्रहम का अंश है वो किस लिए की

जाती है। आप सारे दिन हाथ के अंदर माला लें, सारे तीर्थ स्थानों पर आप चले जाइये, ब्रहम अंश की हत्या का पाप सात समुंदर के अंदर नहाने से, गंगा में सौ बार स्नान करने से, चारों धाम जाने से, आप उससे बच नहीं सकते। मैं आपके बीच में इसीलिए आया कि यह एक यज्ञ है, यह एक जन आंदोलन, एक जन क्रांति के रूप में बनना चाहिए और उस जन क्रांति के अंदर जो आप लोग यहां पर आज बैठे हैं, उन सबको शपथ लेनी है कि मैं जाने में, अनजाने में किसी भी कन्या के भ्रूण की हत्या के पाप का भागीदार नहीं हो सकते। जब तक समाज के अंदर ये बदलाव सोच में नहीं आयेगा, ये शैतानी सोच कि कन्या का होना पाप है, अभिशाप है, तब तक समाज और हरियाणा तरक्की नहीं कर सकते। उस सोच के पीछे जो कारण है, उसके बारे में भी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। लोग क्यों नहीं चाहते कि बेटी हो। जब पेट में पलती हुई वो छोटी बालिका गर्भ के अंदर अपनी माँ से पूछती है कि माँ मुझे क्यों नहीं तुम इस दुनिया में आने का मौका देती हो वह सवाल पूछती है अपनी माँ से कि माँ क्या तुम इसलिए डरती हो कि जिस तरह तुम्हारे को अपने घर में ताने पड़ते हैं, सास से, ननद से, उस वजह से तुम डरती हो कि मैं भी यदि इस दुनिया में आऊंगी तो ताने सुनने को मिलेंगे या माँ तुम मुझे इसीलिए मारना चाहती हो कि मैं जन्म लूंगी तो तुम्हारे पास दहेज के लिए पैसे कहाँ से आयेंगे और क्या माँ तुम इसलिए मारना चाहती हो जैसे आपने इस लघुनाटिका में देखा कि जब मैं कालेज जाऊंगी तो मेरे लिए security के लिए आपको problem होगी। इस संवेदनशील समाज के सामने ये सवालात हैं। इन सवालात का जब तक निदान और हल आप लोग नहीं करेंगे, दहेज प्रथा के खिलाफ आंदोलन नहीं करेंगे, नारी सशक्तिकरण अधूरा ही रहेगा। कितने कानून बना लीजिए, कितनी अदालतें बना लीजिए, नारी का मान और सम्मान समाज के अंदर

नहीं पैदा हो सकता। इसलिए जरूरी है कि आप लोग आज यहां पर जो इकटठे हुए हैं वह एक संकल्प लें कि भ्रूण हत्या जैसे पाप को नहीं होने देंगे। मैं जब यहां 2006 में चीफ जस्टिस बन करके आया और हरियाणा के अंदर लिंगानुपात में कमी देखी तो हमने सोचा कि हमें अपने court room से निकलकर लोगों के दिल की थाप को छूना चाहिए, उनसे अपील करनी चाहिए कि ये एक ऐसा घिनौना कार्य है जिसको कोई भी दुनिया के अंदर माफ नहीं कर सकता। आइये आप हम सब लोग मिलकर के इस समाज से, इस प्रदेश से इस कलंक को जो हमारे हरियाणा के माथे के ऊपर है, इसको मिटाएं और इस यज्ञ के अंदर आप तमाम लोग आहूति डालें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।

धन्यवाद।